nt>

Title: Need to amend laws relating to forests for enabling setting up of industries and irrigation facilities in the tribal areas of Chandrapur and Gadachiroli districts of Maharashtra.

श्री हंसराज जी.अहीर (चन्द्रपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, महाराट्र के चन्द्रपुर-गडचिरोली जिलों में कुल भूमि की 44 तथा 68 प्रतिशत वन भूमि है। आदिवासी जनजातीय बहुल क्षेत्र में वन अधिनियम, 1980-1982 के कानून संशोधन की वजह से इन वन-बहुल क्षेत्र जिलों के किसान व सामान्य जनता प्रचुर मात्रा में मिनरल्स के भंडारण तथा अनेक नदियों के होते हुए भी वह क्षेत्र उद्योग व सिंचाई विकास से वंचित है। महाराट्र सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं तथा खनिज संपदा का खनन करने हेतु अनुमति दिए जाने के लिए भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति मांगी, लेकिन मंत्रालय अनुमति देने से इंकार कर रहा है। वन संवर्धन कानून, केन्द्र सरकार द्वारा, वर्ल्ड बैंक के दबाव के कारण अमल में लाया जा रहा है।

इन बेकसूर ग्रामीण क्षेत्र के किसानों, बेरोजगार युवकों तथा ग्रामीणों को विकास व रोजगार से वंचित रखने से इस क्षेत्र के युवक-युवतियों के नक्सली जैसे संगठनों से जुड़ने की आशंका बनी हुई है। इस दुरावस्था में सुधार लाने की आवश्यकता है। देश के अधिकांश वन क्षेत्र में आदिवासी जनता भारी संख्या में रहती है। इन आदिवासी तथा गैर-आदिवासी भाइयों को विकास की ओर ले जाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है।

मैं, भारत सरकार से मांग कर रहा हूं कि इन 33 प्रतिशत से ज्यादा वन क्षेत्र बहुल जिलों को वन संवर्धन कानून से रियायत दें तथा वन संरक्षण कानूनों में आवश्यक संशोधन कर, सिंचाई परियोजनाओं एवं खनिज संपदा उद्योग तथा अन्य विकास कार्यों को करने के लिए तुरन्त अनुमति दें।